



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-55

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287879 दिनांक 17/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vandana Mina W/o ANGAD RAM MEENA	श्रीमती राजकुमारी गुप्ता पुत्री श्री प्रहलाद सहाय गुप्ता पत्नी श्री सुभाष चन्द्र खण्डेलवाल	194	45.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block-I	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. आई-194 क्षे. 45.00 व.मी. की लीजडीड श्रीमती राजकुमारी गुप्ता पुत्री श्री प्रहलाद सहाय गुप्ता पत्नी श्री सुभाष चन्द्र खण्डेलवाल को दिनांक 27.07.2023 को जारी की गई। तत्पश्चात श्रीमती राजकुमारी गुप्ता पुत्री श्री प्रहलाद सहाय गुप्ता पत्नी श्री सुभाष चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री ओंकार मल गुप्ता को दिनांक 08.08.2023 को किया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

तत्पश्चात श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री ओंकार मल गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती वंदना मीना पत्नी श्री अंगद राम मीणा को दिनांक 24.02.2026 को किया गया। श्रीमती वंदना मीना पत्नी श्री अंगद राम मीणा द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vandana Mina W/o ANGAD RAM MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |